

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

अधिकारिक
AUTHORITARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 312] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 22, 1983/श्रावण 31, 1905
No. 312] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 22, 1983/SRAVANA 31, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ रकबा दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

आवेष्ट

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1983

सा. का. नि. 661(अ) —केंद्रीय सरकार, केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम,
1956 (1956 का 74) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के आदेश सं. सा.
का. नि. 584(अ), तारीख 1 अक्टूबर, 1982 का निम्नलिखित संशोधन करती
है, अर्थात् —

उक्त आदेश की अनुसूची में, स्तम्भ 3 के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर
निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् —

“वाणिज्यिक कर उप-आयुक्त और वाणिज्य कर सहायक आयुक्त,
सिक्किम सरकार।”

[फा. सं. 28/16/83-एस. टी.]

भगवान दास, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 22nd August, 1983

G.S.R. 661(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the order of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. GSR 583(E), dated the 1st October, 1982, namely :—

In the Schedule to the said Order, for the entry under column 3, the following entry shall be substituted, namely :—

“Deputy Commissioner of Commercial Taxes and Assistant Commissioner of Commercial Taxes, Government of Sikkim.”.

[F. No. 28/16/83 ST]

BHAGWAN DAS, Under Secy.